न्यायालय अपर जिला मैजिस्ट्रेट/अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) लखनऊ।

संख्या–246/पेशकार/2022 दिनांक 11.8.2022

नोटिस

1. श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द्र निवासी फ्लैट न0–ए–23/33/01, आश्रय–1, तृतीय तल सुमन आवास योजना, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
2. श्री प्रशान्त श्रीवास्तव पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द्र निवासी ए/1703, गोकिल नगन, निकट ठाकुर सिनेमा, ठाकर विपेश, कान्दीवली स्टेट, मुम्बई 400101

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि "एचडीएफसी बैंक लि0 रिटेल लोन सर्विस सेन्टर 31/3, द्वितीय तल, एम जी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनांक **30.08.2022** को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा – 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के सम्बन्ध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

(बिपिन कुमार मिश्र)

अपर जिला मैजिस्ट्रेट /अपर जिलाधिकारी (वि0एवंरा0) लखनऊ।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **कार्तिक राना** पुत्र राजेन्द्र राना निवासी मकान नं. सी–1748, नजदीक गायत्री भवन, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ0प्र0 ने ई–प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 044278/2019 धारा 379/411/34 भा.द.स. थाना बुराड़ी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **कार्तिक राना** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **कार्तिक राना** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा धारा 82 Cr.P.C. की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि ई–प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 044278/2019 धारा 379/411/34 भा.द.स. थाना बुराड़ी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **कार्तिक राना** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **27.09.2022** को हाजिर हो।

आदेशानुसारः श्री मयंक अग्रवाल
महानगर दण्डाधिकारी–09 (सेन्ट्रल)
कमरा नं. 286, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/228/N/22

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

पंजी कृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाषः 011–49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800,
ईमेलः customer.care@herohfl.com, वेबसाइटः www.herohousingfinance.com,
सीआईएन नं.: यू65192डीएल2016पीएलसी30148

आधिपत्य सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्न संदर्भित एक राषि तथा निम्नांकित तिथि से इस पर आकलित ब्याज और दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु हीरो हाउ. सिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिकउत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि	आधिपत्य की तिथि
HHFLUCLAP 18000000425	भट्ट स्कूल ड्रेसेज तथा चंद्र शेखर, शेफाली कौशिक, माधवी भट्ट, आशीष भट्ट	18.05.2022, रु. 33,72,060/– दिनांक 18.05.2022 के अनुसार	24.08.2022 (रचनात्मक)
प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : दूकान 15, 16 एवं 17, चंद्र कमल कॉम्पलेक्स, क्षेत्र माप 360 वर्ग फुट अर्थात् 33.457 वर्ग मीटर, निम्न भूतल, सेक्टर–2, भूखंड सं. 2सी/73, विकास नगर, कुरसी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226022, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर– 7.6 फुट चौड़ी गैलरी, पूर्व– दूकान सं. 18, दक्षिण– कमर्शियल निधि कॉम्पलेक्स, पश्चिम– दूकान सं. 14			
HHFLUCLAP 18000000261 एवं HHFLUCLAP 18000000301	दौड़ अली और अशरफ अली, नफीस बानो, क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन	24.05.2022, रु. 24,67,321/– दिनांक 20.05.2022 के अनुसार	24.08.2022 (रचनात्मक)
संपूर्ण भूतल जो तीन फ्लैटों (एक तीन शयनकक्षों वाला फ्लैट और दो फ्लैट दो शयनकक्षों वाले) से समाविष्ट है, जिसकी कुल निर्मित क्षेत्र माप 2092 वर्ग फुट है और अधि क्षेत्र माप 2511 वर्ग फुट है, जो ए. एफ. अर्श एन्क्लेव में भूखंड सं. 8–सी पर निर्मित है, जो 55, जगत नारायण रोड, वार्ड पीर जलील, तहसील एवं जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश–223018 में स्थित है, जिसमें भूमि का कुल क्षेत्र माप 334.57 वर्ग मीटर अर्थात् 3600 वर्ग फुट है, और जो इस प्रकार परिसीमित हैः उत्तर– भूखंड सं. 8डी, पूर्व– सईद यूसुफ की कोठी, दक्षिण– भूखंड सं. 8डीए, पश्चिम– 30 फुट चौड़ी सड़क			

दिनांकः 28.08.2022 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः लखनऊ कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

न्यायालय अपर जिला मैजिस्ट्रेट/अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) लखनऊ।

संख्या–244/पेशकार/2022 दिनांक 11.8.2022

नोटिस

1. श्री एबीआई इन्टरप्राइजेज द्वारा प्रोपराईटर, भास्कर मल पता–सी–125, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. भास्कर मल पुत्र श्री रंजीत मल पता–सी–125, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. श्रीमती विमल मल पत्नी श्री रंजीत मल पता–सी–125, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि "एचडीएफसी बैंक हाऊस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर पर्ल(वेस्ट), मुम्बई और ब्रान्च आफिस 17/4ए, निखिलेश पैलेस, प्रथम तल, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनांक **30.08.2022** को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा – 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के सम्बन्ध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

(बिपिन कुमार मिश्र)

अपर जिला मैजिस्ट्रेट /अपर जिलाधिकारी (वि0एवंरा0) लखनऊ।

AIR FORCE STATION
ISSAPUR, NEW DELHI-110073

निविदा सूचना

01 अक्तूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक नीचे वर्णित रेजिमेंटल दुकानों के संचालन के लिये वायु सेना स्टेशन इस्सापुर, नई दिल्ली –७३ द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ एवं व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वायु सेना स्टेशन इस्सापुर की एस आई कार्यालय मे **25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022** को **रु. 100 /** – अप्रतिदेय के नगद भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। धरोहर राशि के रूप में एस आई कार्यालय में **रु. 1000/** (वापसी योग्य) की राशि जमा की जाएगी। धरोहर राशि की रिसीप्ट की छायापति के साथ सभी तरह से पूर्ण निविदा प्रपत्र अधिकतम **08 सितंबर 2022 को 10.00 बजे तक** मुख्य गारद कक्ष वायु सेना स्टेशन इस्सापुर में रखी गई निविदा पेटी में जमा की जाएगी। निविदा को **08 सितंबर 2022 को 12.00 बजे** सभी आवेदक वेंडर के सामने खोली जाएगी। स्टेशन कमांडर वायु सेना स्टेशन रजोकरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

दुकानों की सूची

1) सब्जी की दुकान
2) नाई की दुकान
3) किराना की दुकान
4) जलपान गृह

*100% आरक्षण युध / कर्तव्य निर्वाहन मे शहीद सैनिको की विधवाओं / दिव्यांग सैनिको / दिव्यांग भूतपूर्व सैनिको एवं उनकी विधवाओं के लिए।

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड

MONEYBOXX

पंजीकृत कार्यालयः 523-ए,सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
कारपोरेट कार्यालयः वाटिका बिजनेस सेन्टर, प्रथम इण्डिया प्लेस, द्वितीय मंजिल, सुशांत लोक-1, एमजी रोड, गुरूग्राम-122001, हरियाणा
CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 0124-4488245|
info@moneyboxxfinance.com | www.moneyboxxfinance.com |

अठाईसवीं वार्षिक साधारण आम बैठक की सूचना को भेजने का कार्य पूर्ण होना

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड के सदस्यों की साधारण आम बैठक ("एजीएम") **सोमवार, सितम्बर 19, 2022 को प्रातः 11.30 बजे** विडियो कानफ्रैंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विज्वल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। कम्पनी ने एजीएम आयोजन की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी एवं/अथवा डिपाजटरीज के पास पंजीकृत को कारपोरेट कार्य–कलाप मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, मई 5, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021एवं परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 दिसम्बर, 2022 (एमसीए परिपत्रों) के अनुसार अगस्त 27, 2022 को भेज दी गई हैं।

साथ में एजीएम आयोजन की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.moneyboxxfinance.com, स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट i.e. बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉजटरीज लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108 एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 एवं साधारण बैठक में सचिवीय मानकों (एसएस-2), के अनुसार सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा एजीएम आयोजन की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्ताओं पर अपना वोट डालन की सुविधा प्रदान करा रही है। सदस्यों के वोटिंग का अधिकार सोमवार, सितम्बर 12, 2022 ('कट–ऑफ तिथि') को कम्पनी की चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी में उनके द्वारा धारित इक्वीटी शेयर के अनुपात मे होगा।

रिमोट ई–वोटिंग का समय निम्न अवधि के दौरान उपलब्ध होगाः

रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ अवधि	वीरवार, सितम्बर, 15, 2022 (9:00 बजे प्रातः)
रिमोट ई–वोटिंग अवधि का निष्कर्ष	रविवार, सितम्बर, 18, 2022 (5:00 बजे सायं)

इस अवधि के दौरान सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रानिकली द्वारा डाल सकते हैं। तद्उपरान्त एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मापांक निःशक्त कर दिया जायेगा। वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया और अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम माध्यम द्वारा वोट देने के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, एजीएम में भी वीसी/ओएवीएम द्वारा उपस्थित/भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

कोई व्यक्ति, जिसने कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रानिकली सूचना को भेजने के बाद कम्पनी के शेयर्स अर्जित किये हों और सदस्य बना हो और कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता हो, evoting@nsdl.co.in के सहायता भाग पर आग्रह भेज कर लॉगइन आईडी और पास वर्ड प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यदि वह रिमोट ई–वाटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी एवं पास वर्ड को प्रयोग कर सकता है।

ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") एवं www.evotingindia.nsdl.com पर उपलब्ध ई–वोटिंग मैनुवल के सहायता भाग अथवा टोल फ्री न० 1800 1020 990/1800 224 430 को संदर्भित कर सकते हैं। ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत कि लिए नामित ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री शशांक पशिने एण्ड एसोसियेट्स के श्री शशांक पशिने, कार्यरत कम्पनी सचिव को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया का एजीएम से पहले/दौरान में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जाँचकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है।

एजीएम की सूचना का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.moneyboxxfinance.com एवं साथ में एनडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/–
भानू प्रिया
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः गुरूग्राम
तिथिः 27.08.2022

फुटकर आस्ति केन्द्रीय प्रक्रिया केंद्र, कड़कड़डूमा,
यूनिटी वन माल, प्रथम तल, सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा, दिल्ली–110032

SBI

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नांकित **कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था,** जिसमें सूचना मे उल्लेखित **बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था**

कर्जदारों उक्त राशि का भुगतान करने मे विफल रहे है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(यों) के साथ लेन–देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति(यों) के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक,** द्वारा **निम्नलिखित राशि और साथ में उस पर अप्रयोजित ब्याज और भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकस्मिक व्यय एवं प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

खाता/कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक/प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख	कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
श्री अतुल कुमार सिंह और श्रीमती पूनम	**संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति सी–102, प्रथम तल, स्प्रिंगव्यू फ्लोर, क्रिसेंट पार्क, टॉउनशिप, गाँव शाहपुर बमहेटा, लालकुंआ, एनएच–24, जिला गाजियाबाद में स्थित**	14-04-2022	22-08-2022	₹ 19,78,913.00 और दिनांक 14.04.2022 से भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार, इत्यादि

दिनांक : 22-08-2022, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

प्रपत्र सं. 3 [देखें विनियमन–15 (1)(ए)]/16(3)]

ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी–2)

1ला तल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़ (3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स

मामला सं.: ओए/1021/2021 **एक्जि, नं. 1/923**

एचडीएफसी बैंक बनाम ओरिअन आटोमोबिल्स प्रा. लि.

सेवा में, ओरिअन आटोमोबिल्स प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक, पंजीकृत कार्यालय : एई–88, शालीमार बाग, नई दिल्ली–110088, ईमेल : chadharakeshkumar@yahoo.com, गुड़गांव, हरियाणा, साथ ही : बी–31–32, इंडस्ट्रियल इस्टेट : आईडीसी सेक्टर–14 के सामने, में हरौली रोड, गुरूग्राम गुड़गांव, हरियाणा 2) गुरचरण सिंह, पुत्र राम प्रकाश चड्ढा, एई–88, शालीमार बाग, नई दिल्ली, दिल्ली, **साथ ही** : पुत्र राम प्रकाश चड्ढा, बी–31–32, इंडस्ट्रियल इस्टेट : आईडीसी सेक्टर–14 के सामने, में मेहरौली रोड, गुरूग्राम गुड़गांव, हरियाणा **साथ ही** : पुत्र राम प्रकाश चड्ढा, के–701, एम्बिएन्स आइलैण्ड एनएच–8, गुरूग्राम, गुड़गांव, हरियाणा **साथ ही** : पुत्र राम प्रकाश चड्ढा, मकान सं. 1254, सेक्टर–3, फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा, 3) श्रीमती देविन्दर कौर, पुत्री प्रधान सिंह, के–701, एम्बिएन्स आइलैण्ड एनएच–8, गुरूग्राम, गुड़गांव, हरियाणा **साथ ही** : पुत्री, प्रधान सिंह बी–31–32, इंडस्ट्रियल इस्टेट : आईडीसी सेक्टर–14 के सामने, में मेहरौली रोड, गुरूग्राम गुड़गांव, हरियाणा, **साथ ही** : पुत्री, प्रधान सिंह, एई––88, शालीमार बाग, नई दिल्ली, दिल्ली, साथ ही : पुत्री, प्रधान सिंह, मकान नं. 1254, सेक्टर–3, फरीदाबाद, हरियाणा।

समन्स

जैसा कि ओए/458/2021 दिनांक 29/07/2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था

जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 6704479/– के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है।

i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं की मांगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करना
iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है।
vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे।
v) आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 12.10.2022 को 10.30 को पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। ऑल मोड मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 24.8.2022 को दी गई।

समन्स जारी-कर्ता प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

आधिपत्य सूचना

DCB BANK

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें निम्न स्तंभ सं. 3 में वर्णितानुसार उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को उक्त मांग सूचना में वर्णित राषि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्र सं	ऋण खाता	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता	मांग सूचना की तिथि	आधिपत्य की तिथि
1	DRBLMEE00521943 और DRBLMEE00465139	श्री हरिओम एवं बीना देवी	11.05.2022	22.08.2022
मांगकृत राशिः रु. 21,23,028.70 (रुपए इक्कीस लाख तेईस हजार अट्ठाईस एवं सत्तर पैसे मात्र)				
प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरणः मकान सं. 485, खसरा सं. 929, भगवत पुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250003				
2	DRBLMEE00468623 और DRBLMEE00518181	श्री विनोद कुमार एवं अनीता देवी	18.04.2022	22.08.2022
मांगकृत राशिः रु. 10,80,754.72 (रुपए दस लाख अस्सी हजार सात सौ चव्वन एवं बहत्तर पैसे मात्र)				
प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरणः मकान स. सी–443, सेक्टर–एस, फेज 1, गगा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001				
3	DRSBDEL00447741	श्री सुनील दरल, मनीषा दरल और गंगा हैंडलूम	13.06.2022	24.08.2022
मांगकृत राशिः रु. 42,76,590.31 (रुपए बयालिस लाख छिहत्तर हजार पांच सौ नब्बे एवं इकतीस पैसे मात्र)				
प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरणः एफ–3, भूतल की चार दूकानें, लक्ष्मी नगर, विजय चौक, नई दिल्ली–110092				

उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, वहां उसमें अंकित राषि तथा उस पर भावी ब्याज और लागत हेतु डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

दिनांकः 28.08.2022 हस्ता./–
स्थानः मेरठ एवं दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

शुद्धिपत्र

कैटालिस्ट व्यूजपेपर प्रा.लि. कम्पनी के लिये पते के परिवर्तन के लिये 25.08.2022 को दी गई सूचना में कम्पनी के नाम में वर्णित न्यूजपेपर शब्द को व्यूजपेपर पढें।

प्रपत्र सं.यूआरसी–2

अध्याय–XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में नोटिस देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुवर्ती]

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार को एक आवेदन दिया गया है कि मैसर्स फेयरलेस सिक्योरिटी सर्विसेज, एक साझेदारी फर्म इकाई को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत, शेयरों द्वारा एक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:– विभिन्न उद्योगों को सुरक्षा गार्ड, लेडी गार्ड, सुरक्षा अधिकारी, सशस्त्र गार्ड, पर्यवेक्षक, हाउसकीपर, चौकीदार, संदेशवाहक, डिलीवरी बॉय और अन्य मैनपावर सलूशन्स प्रदान करना। पेरोल प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए, कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग, अनुपालन प्रबंधन सेवाएं, 24X7 निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापना और प्रबंधन सेवाएं।
3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी का निरीक्षण कार्यालय–पी. नंबर 131, नेशनल मार्केट, भेरा एन्क्लेव, मेन रोड, पीरा गढ़ी, नई दिल्ली –110087 में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, रजिस्ट्रार–केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी, मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड–122050 को और कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ इस नोटिस के प्रकाशन से इक्कीस दिनों के भीतर, लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

आवेदकों के नाम
1. श्री नीरज मुद्गल (साझीदार)
दिनांकः 27.08.2022 2. श्रीमती शालू (साझीदार)

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ravipal Singh Civil Judge (Junior Division), Ludhiana
M/s Mahavir Forgings Vs
M/s Suvi Industries
CNR NO: PBLD02-005717-2021
Next Date : 28-09-2022

the plaintiff prays for declaration that _______
the plaintiff prays for permanent injunction against defendant no. restraining them/hin from _______
Publication Issued To : 1. M/s Suvi Industries, Opposite Lcv Union, Chandigarh kurali Road, Near Focal Point Chanalon, Kurali, 14013 Tehil Kharar, Through Its Partners Namely Ajay Kumar Gupta & Sikandar Singh 2. Shri Ajay Kumar Gupta Partner M/s Suvi Industries, Opposite Lcv Union, Chandigarh Kurali Road, Near Focal Point Chanalon, Kurali, 140103 Tehsil Kharar Alternate Address: Ajay Kumar Gupta S/o Vijay Kumar Gupta Sco 104, 21/c, Street No.5, Gandhi Nagar, Mandi Gobindgarh 3. Sikandar Singh Partner M/s Suvi Industries, Opposite Lcv Union, Chandigarh Kurali Road, Near Focal Point Chanalon, Kurali , 140103 Tehsil Kharar Alternate Address: Sikandar Singh S/o Manjeet Singh House No 56, Ward No.4, Near Diamond Public School, Kharar 140301
In above titled case the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 28-09-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

JMIC Ludhiana

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा कम्पनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

हाइड्राइज (एग्रो) प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 1404, बिल्डिंग नं. 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में है, आवेदक के मामले में :

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के माध्यम से कार्यरत केन्द्र सरकार में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

हाइड्राइज एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
पताः फ्लैट नं. 1404, बिल्डिंग नं. 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

कृते एवं के लिये
हाइड्राइज (एग्रो) प्राईवेट लिमिटेड (आवेदक)
हस्ता./–
अक्षय मित्तल
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 26.8.2022 DIN: 08572831

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा कम्पनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

हाइड्राइज एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 1404, बिल्डिंग नं. 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में है, आवेदक के मामले में :

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के माध्यम से कार्यरत केन्द्र सरकार में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

हाइड्राइज एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
पताः फ्लैट नं. 1404, बिल्डिंग नं. 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

कृते एवं के लिये
हाइड्राइज एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड (आवेदक)
हस्ता./–
अक्षय मित्तल
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 26.8.2022 DIN: 08572831

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015, महाराष्ट्र सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा–सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया है जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन नीचे दी गई राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि,वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम एवं एलएएन नं.	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	संपत्ति का विवरण	आधिपत्य की तिथि एवं प्रकार
1.	पुष्पा देवी, राकेश कुमार तिवारी LP0000000020096	31–मई–22 13–नवंबर–21 के अनुसार रु. 1730653	हाउस नंबर 241–ए प्लॉट नंबर डी–20 खसरा नं. 1007 चित्रगुप्त विहार जनकपुरी गांव पसौंदा,परगना लोनी नादिया, गाजियाबाद ,उत्तर प्रदेश– 201001	23–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा
2.	शशि, मृत्युंजय राज भाटी HL0000000019715	19–अप्रैल–22 5–अप्रैल–22 के अनुसार रु. 2045379	फ्लैट नंबर 301, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी ,खसरा नबर 1019, महेंद्र एन्क्लेव हड़बस्त राजापुर अस्पताल, परगना डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201001	23–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा
3.	भीम पंडित, अनीता देवी HL0000000030098	20–दिसंबर–21 13–नवंबर–21 के अनुसार रु. 1926474	खसरा नंबर, 142 का भाग , ग्राम मवई, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001	24–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा
4.	ओमवीर सिंह, सीमा धामा LP0000000027753	19–मई–22 5 मई–22 की स्थिति के अनुसार रु. 2758966	मकान नंबर 83, खसरा नंबर 619, गांव बाथा हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद ,उत्तर प्रदेश –201102	23–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा
5.	राजेश धीर, रिया धीर HL0000000014308	31–मई–22 13–नवंबर–21 के अनुसार रु. 4678652	खसरा नंबर 48/2, गांव–चिकंबरपुर, परगना लोनी, साई धर्म काटा गाजियाबाद के पास, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301	23–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा
6.	राहेश मुनि, सरिता HL0000000028432 और LP0000000046074	31–मई–22 5 दिसंबर–21 के अनुसार रु. 1497984 और रु. 109335	प्लॉट नंबर 45, फ्लैट नंबर सी–2, द्वितीय तल (आरएचएस) खसरा नं. 540–541 और 542 भदौरिया अपार्टमेंट ,ग्राम सरफाबाद, परगना गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश –201307	24–अगस्त–22 को लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा

दिनांक : 28.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली/ उत्तर प्रदेश वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रपत्र– 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	15 जुलाई 2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2011PTC222377
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय (एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार): सीआईआरपी आदेश की तिथि के अनुसार:** 3 एल.एस. सी पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 **सीआईआरपी आदेश की प्राप्ति की तिथि के अनुसार:** तीसरी मंजिल, 108 बी मदनगीर गांव नई दिल्ली–110062 **कारखाने का पताः** गाँव– संधारसी, तहसील– राजपुरा, जिला– पटियाला, पंजाब–140417
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	**26 अप्रैल, 2022** – सीआईआरपी आदेश की तिथि **11 मई, 2022** – सीआईआरपी आदेश प्राप्त होने की तिथि
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	**25 जुलाई 2022** (प्रारंभिक प्रकाशन) 28 अगस्त 2022 विस्तारित समय सीमा के साथ प्रकाशन की तिथि
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यताः	**www.oliverengg.co.in** या **oliverengg.cirp@gmail.com** पर एक ई–मेल भेजकर जानकारी भी मांगी जा सकती है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंडः	**oliverengg.cirp@gmail.com** पर एक ई–मेल भेजकर जानकारी भी मांगी जा सकती है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	~~20 अगस्त 2022~~, 05 सितंबर 2022 (विस्तारित)
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	~~30 अगस्त 2022~~ 15 सितंबर, 2022 (विस्तारित)
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	~~05 सितंबर 2022~~ 20 सितंबर, 2022 (विस्तारित)
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	~~14 सितंबर 2022~~ 30 सितंबर, 2022 (विस्तारित)
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	~~05 सितंबर 2022~~ 20 सितंबर, 2022 (विस्तारित)
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला विनियमन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36बी(1) के तहत इसे प्राप्त करने के लिए सभी पात्र संभावित समाधान आवेदकों (पीआरए) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा किया जाएगा।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	~~04 अक्टूबर 2022~~, 20 अक्टूबर 2022 (विस्तारित)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	क्रमांक 21. में उल्लिखित पत्राचार विवरण में पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजें। समाधान प्रोफेशनल को ईमेल के माध्यम से अलग से पासवर्ड प्रदान किए जाने हैं
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	~~18 अक्टूबर 2022~~; 08 नवंबर 2022 (विस्तारित)
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**सुमित शुक्ला** पंजी.सं.:IBBI/IPA-003/IP-N00064/2017-18/10550
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**सुमित शुक्ला** बी–4/702, कृष्णा अपरा गार्डन, प्लॉट नंबर 7, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी– 201014 **ईमेल :** sumit_shukla@rediffmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	कार्यालय – 401, टावर–बी, आइथम, प्लॉट नंबर ए40, सैक्टर 62, नोएडा, यूपी. **ईमेल :** oliverengg.cirp@gmail.com और sumit_shukla@rediffmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध हैं	विवरण www.oliverengg.co.in पर उपलब्ध है या sumit_shukla@rediffmail.com पर ई–मेल भेजकर मांगे जा सकते हैं
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	**25 जुलाई 2022 (प्रारंभिक प्रकाशन), 28 अगस्त 2022 विस्तारित समय सीमा के साथ प्रकाशन की तिथि**

नोटः

1. माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ III, नई दिल्ली, दिनांक 04.08.2022 के आदेशानुसार, सुमित शुक्ला को ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीआईआरपी में समाधान प्रोफेशनल (आरपी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. 26 अगस्त 2022 को ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों की समिति ने 25 जुलाई 2022 को प्रकाशित फॉर्म जी की समयसीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। यह भी कहा गया है कि लेनदारों की समिति ने वर्तमान सीआईआरपी की समयसीमा को नब्बे (90) दिनों तक आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और निर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, समाधान प्रोफेशनल एक आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में है।
3. इस प्रकाशन के माध्यम से बढ़ाई गई समयसीमा को छोड़कर, सब कुछ अपरिवर्तित है।

हस्ता/–
सुमित शुक्ला
समाधान प्रोफेशनल, ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/IP-N00064/2017-18/10550
पंजीकृत पताः बी–4/702, कृष्णा अपरा गार्डन, प्लॉट नंबर 7, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी– 201014

तिथिः 27 अगस्त 2022
स्थानः नोएडा

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

POLYMED MEDICAL DEVICES — We Care As We Cure

पंजीकृत कार्यालय : 232–बी, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011–33550700, फैक्स : 011–26321894
ई–मेल : investorcare@polymedicure.com, वेबसाइट : www.polymedicure.com

ई–मेल पते अपडेट करने तथा अन्य जानकारी हेतु सदस्यों को सूचना

कोविड–19 महामारी के जारी रहने के मद्देनजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना एक मानदंड है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तत्पश्चात परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 ('सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य–श्रव्य साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी गयी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') और एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की आगामी 27वीं एजीएम सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे (भा.मा.स.) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए, सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार, 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना वित्तीय वर्ष 2021–2022 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के दौरान ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

यदि आपका ईमेल पता पहले से ही कंपनी/आरटीए या डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021–2022 की वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपने अपना ईमेल पता कंपनी/आरटीए या डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया नोटिस, वित्तीय वर्ष 2021–2022 की वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत कराने हेतु नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

ई–मेल पते और बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण/अद्यतनः

भौतिक धारिता	कंपनी के आरटीए यानी मास सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II, नई दिल्ली - 110 020 के पास विधिवत भरे हुए फॉर्म नंबर आईएसआर–1, जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.polymedicure.com से Investor Relation टैब और साथ ही आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com पर download टैब से डाउनलोड किया जा सकता है, अनुरोध भेज सकते हैं। आप डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फॉर्म नंबर आईएसआर–1 को आरटीए की ईमेल आईडी investor@masserv.com पर और एक प्रति कंपनी को cs@polymedicure.com को भी भेज सकते हैं।
डीमैट धारिता	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें।

ई–वोटिंग की जानकारी :

कंपनी अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बारे में विवरण एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–2022 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य कंपनी को चिह्नित प्रति के तहत ऊपर उल्लिखित पते और ई–मेल आईडी पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं।

कृते पॉली मेडलक्योर लिमिटेड
ह./–
अविनाश चंद्र
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.08.2022

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालयः तृतीय तल, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पुणे–411014, महाराष्ट्र
शाखा कार्यालयः आफि. नं. 1351, 13वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, भूखंड–ई5, नेताजी सुभाष प्लेस पीतम पुरा, नई दिल्ली, दिल्ली 110034

आधिपत्य सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8–(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत (परिशिष्ट–IV)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचना(एं) यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारांटर(रों) को निर्गत की थीं जिनमें उन्हें सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता(गण)/सह–ऋणकर्ता(गण)/गारांटर(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारांटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारांटर(रों) को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित अनुसार राशि(यों) तथा इन राशियों पर भावी ब्याज हेतु बीएफएल के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता(ओं)/गारांटर(रों) के नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम)	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	आधिपत्य की तिथि
शाखाः दिल्ली (लैन नंबर 4010HL14902459 एवं 4010HL14902428) 1. अनिल कुमार सैनी (मृतक होने के बाद से विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से) (उधारकर्ता) 2. नीतू सैनी (सह–उधारकर्ता) यहां परः बी 37, द्वितीय तल, नई दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन II, नई दिल्ली, दिल्ली–110049	निम्नानुसार विवरणित गैर–कृषि संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः बी–3, एसएफ एनडीएसई–II, नई दिल्ली, दिल्ली–110049, पूर्व– सड़क, पश्चिम– सर्विस लेन, उत्तर– भूखंड सं. बी 36, दक्षिण– भूखंड सं. बी 38	14 अप्रैल 2022 रु. 2,64,00,988/- (रुपए दो करोड़ चौंसठ लाख नौ सौ अट्ठासी मात्र)	24.08.2022
शाखाः दिल्ली (लैन नंबर 4010HL37172389 और 401PFH37553907) 1. पीयूष मित्तल (उधारकर्ता) 2. रामानंद मित्तल (सह–उधारकर्ता) 1 और 2 यहां के निवासीः फ्लैट नं. 12ए 06 12वां तल टॉवर ए एग्जोटिक फ्रेस्को, सेक्टर 137 एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 3. गो प्रोसेसिंग लि. (अपने स्वामी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंध निदेशक के माध्यम से) (सह–उधारकर्ता) यहां परः ए–275, द्वितीय तल, ओखला 1 ए फेज 1, नई दिल्ली–110020	निम्नानुसार विवरणित गैर–कृषि संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः ड्वेलिंग यूनिट नं. 12 ए06 टॉवर ए, 13वा तल, एग्जोटिका फ्रेस्को, भूखंड सं. जीएच 05/ए, सेक्टर–137, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 पूर्व– गैलरी, पश्चिम– प्रवेश, उत्तर– खुला, दक्षिण– खुला	22 अप्रैल 2022 रु. 79,46,115/- (रुपए उन्यासी लाख छियालिस हजार एक सौ पंद्रह मात्र)	25.08.2022

दिनांकः 28.08.2022, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com